मु० सं० 61/2020 राकेश बनाम प्रशासन वगैरह
धारा 212 R.T. Act

12/22

21/12/22

16/12/22 पत्रावली आज मूल वाद के साथ दायर कोर्ट में पेश हुई। अधिवक्ता अर्थी को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। मूल वाद रिकॉर्ड से खारिज हो चुका है। इसलिए अब अर्थना-पत्र चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अर्थी का अर्थना-पत्र 212 R.T. Act खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/12/2022 को दायर कोर्ट में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)